

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा।

पत्रांक ३०००/१४-१, दिनांक, अमरोहा, मई, २६, २०१८,

सेवा

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक

मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद।

विषय :-

जनपद अमरोहा, में बंदायू-बिल्सी-बिजनौर मार्ग (एस.एच-५१) किमी० किमी० १३४ चैनेज १३३.२११ से १३३.२५६ की दांयी पटरी पर ग्राम सिहांली जांगीर तहसील हसनपुर जिला अमरोहा खाता संख्या ४६९ में मै० इण्डियन ऑयल कार्पो० मुरादाबाद द्वारा एक रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु ०.०९६०५१५ हे० संरक्षित वनभूमि एवं ०८ बाधक वृक्ष को विदोहन हेतु अनुमति के संबंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक जनपद अमरोहा, में बंदायू-बिल्सी-बिजनौर मार्ग (एस.एच-५१) किमी० किमी० १३४ चैनेज १३३.२११ से १३३.२५६ की दांयी पटरी पर ग्राम सिहांली जांगीर तहसील हसनपुर जिला अमरोहा खाता संख्या ४६९ में मै० इण्डियन ऑयल कार्पो० मुरादाबाद द्वारा एक रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु ०.०९६०५१५ हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं ०८ बाधक वृक्ष के विदोहन की अनुमति हेतु प्रस्ताव मय इंटरनेट फिडिंग सहित प्रभाग को प्राप्त हुए हैं।

अतः जनपद अमरोहा, में बंदायू-बिल्सी-बिजनौर मार्ग (एस.एच-५१) किमी० किमी० १३४ चैनेज १३३.२११ से १३३.२५६ की दांयी पटरी पर ग्राम सिहांली जांगीर तहसील हसनपुर जिला अमरोहा खाता संख्या ४६९ में मै० इण्डियन ऑयल कार्पो० मुरादाबाद द्वारा स्थापित किये जा रहे, एक रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु ०.०९६०५१५ हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं ०८ बाधक वृक्ष की अनुमति प्रस्ताव तैयार कराकर प्रस्ताव भारत सरकार की वेबसाइट पर फिडिंग करते हुए प्राप्ति रसीद के साथ ०४ प्रतियां संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है। आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
अमरोहा।